न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया।

दाखिल खारिज अपील वाद सं0 03/2020–21 प्रथम पक्ष– विष्णु भगत .... अपीलार्थी

अनुसूची – 14 फर्म सं0 563 बनाम

द्वितीय पक्ष– झारखण्ड सरकार ....उत्तरवादी

आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3

01/12/2020

प्रस्तुत वाद विष्णु भगत, पिता रामाधार भगत ग्राम बसिया थाना बसिया, जिला गुमला द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 15 R 27/2020–21 में अंचल अधिकारी, बसिया के न्यायालय में दिनांक 08/06/2020 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया। वादगत् भूमि का विवरण :–

मौजा/थाना नं0	खाता	प्लॉट	रकबा
बसिया/50	52	925	01.50 एकड़
		कुल रकबा	**01.50 एकड़**

अपीलकर्त्ता को सूनकर सुनवाई हेतु इस अपीलवाद को ग्रहण किया गया। अपीलकर्त्ता एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक द्वारा इस वाद में सर्मित निम्न न्यायालय का दाखिल खारिज वाद संख्या 15 R27/2020–21 दिनांक 08/06/2020 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एंव संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, बसिया के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि का दाखिल खारिज अस्वीकृत का कारण आवेदक द्वारा अपने दाखिल खारिज आवेदन में पट्टा संख्या गलत दर्ज कर आवेदन करने के कारण उपरोक्त वर्णित भूमि का दाखिल खारिज को अस्वीकृत किया गया है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल आवेदन के आलोक में कार्रवाई प्रारम्भ कर नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 640(ii) दिनांक 23/11/2020 के द्वारा मांग किया गया। अभिलेख प्राप्त है।

अपीलकर्त्ता नोटिस प्राप्त कर अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्य से न्यायालय में उपस्थित हुए एवं वाद की सुनावाई के दौरान अपीलार्थी का कहना है कि निम्न भूमि विवरणी

मौजा/थाना नं0	खाता	प्लॉट	रकबा
बसिया/50	52	925	01.50 एकड़
		कुल रकबा	**01.50 एकड़**

भूमि सुधार उपसमाहर्ता बसिया, (गुमला)

कुल रकबा 01.50 एकड़ भूमि खाता सं0 52 की वादगत् भूमि जमीन जगबंधु पानी गराही वो दीन बन्धु पानी गराही की रैयती जमीन है। इनके उत्तराधिकारी उसपर सरकार को निर्बाध रूप से मालगुजारी देते हुए दखलकार रहे है। उपरोक्त भूमि का पंजीकरण 26/02/2020 को निबंधन पदाधिकारी, गुमला द्वारा निबंधित पट्टा सं0 2020/GUM/346/BK1/343 से हो चुका है। भूमि विवाद रहित है तथा क्रेता के दखल कब्जा में है दाखिल खारिज में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। वादगत भूमि के नामान्तरण हेतु आवेदन अंचल अधिकारी बसिया के न्यायालय मे दाखिल किया जिसका वाद सं0 15 R27/2020 है। उक्त वाद में अंचल अधिकारी, बसिया अंचल निरीक्षक व कर्मचारी द्वारा दाखिल खारिज अस्वीकृत का कारण आवेदक द्वारा अपने दाखिल खारिज आवेदन में पट्टा संख्या गलत दर्ज कर आवेदन करने के कारण दाखिल खारिज को अस्वीकृत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बसिया के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि का दाखिल खारिज अस्वीकृत का कारण आवेदक द्वारा अपने दाखिल खारिज आवेदन में पट्टा संख्या गलत दर्ज कर आवेदन करने के कारण अस्वीकृत किया गया है अंचल निरीक्षक के द्वारा मंतव्य दिया गया है कि निबंधित दस्तावेज संख्या सुधार कर पुनः भूमि नामान्तरण हेतु आवेदन कर सकते है

उपर्युक्त तथ्यों के अवलोक के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक द्वारा नामान्तरण आवेदन में गलत निबंधित संख्या कर आवेदन किया गया जिसके कारण अंचल अधिकारी, बसिया द्वारा दाखिल खारिज वाद सं 16 R27/2020 को अस्वीकृत किया है। इस वाद के आवेदक विष्णु भगत, पिता रामाधार भगत ग्राम बसिया जिला गुमला निबंधित संख्या सुधार कर पुनः अंचल अधिकारी, बसिया को भूमि नामान्तरण करने हेतु आनॅलाईन आवेदन कर सकते है। अंचल अधिकारी, बसिया को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि से संबंधित अपीलकर्त्ता/आवेदक को पर्याप्त अवसर देकर सुनते हुए तथा उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की पूरी जॉच पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

इस आदेश की प्रतिलिपि अंचल अधिकारी, बसिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.19 15:24:29 +05:30
Location: 192.168.1.10